


परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कपकोट


ग्राम समूह पमिण पै० यो का निर्माण ।

### मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण पत्र मानक शर्तः

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्द को भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अत्य प्रयोजन हेतु कालापित नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का सयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मौँगी गई भूमि रूपन्तर है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है ।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत है ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा ।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होंगी ।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित वन किया जाय । केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वचाल विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी ।
9. सिवाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि को उपयोग अत्य प्रयोजन- हेतु करने अथवा विभाग सत्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तथा होते समय स्थानीय रसर पर वन विभाग का परानर्दा साठनिंदिओं द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, साठनिंदिओं के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्मि क्षेत्र पौँडी को सम्बोधित पत्र सच्चा 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी साठनिंदिओं द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ण बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकालित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा ।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरसारण वन विभाग उत्तराखण वन निगन अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा । यदि किसी कारण से वृक्षों का निरसारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा ।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुराने गर वानिकी केत्रकाल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा । 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाजार के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है । ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन सक्षक स्तर पर ही होगा ।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खाड़ों को कैंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो च्यन्तम संरक्षण की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पवका करना अग्र आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रक्रण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मात्य होगी।
18. वन भूमि का वारस्ताचरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आशवासन प्राप्त हो जाय।

  
सहायक अधिकारी  
महाराष्ट्र उत्तराञ्चल प्रदेश निगम  
निर्माण शाखा उत्तराञ्चल प्रदेश निगम  
बांगड़ा बांसुरेश्वर

  
अधिकारी अधिकारी  
Construction Department  
Uttarakhand Legislative Assembly  
लोकसभा दिल्ली

चोट - उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेंटसी द्वारा निर्गत किया जायेगा।